238

— 208 —

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या– 13/न4–34/99— 238 राज्य सरकार (मानव संसाधन विकास विभाग) के कार्यालय आदेश संख्या–720 एवं 721 दिनांक 26.7.99 के द्वारा क्रमशः सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से निजी विद्यालय के संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के शर्त्त निर्धारित की गयी थी। विधान मंडल में निजी विद्यालयों के प्रबंधन तथा किया–कलाप में माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति और निजी विद्यालयों के संबंध में विधान सभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कार्यालय आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नलिखित नीतिगत शर्त्तें निर्धारित करने का निर्णय लिया है:–

अनिवार्य शर्त्तें

1. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अथवा ट्रस्टीशीप एक्ट के तहत निबंधित होना चाहिए। निबंधित सोसाईटी/ न्यास में किसी व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। इसके प्रमाण स्वरुप विद्यालय प्रबंधन को सोसायटी/न्यास के प्रत्येक सदस्य का नाम,पूरा पता, व्यवसाय, टेलीफोन नं0 तथा आपस में सभी सदस्यों के संबंध है, की सूचना सार्वजनिक करनी होगी।

2. विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसायटी/न्यास के franchise के रुप में स्थापित नहीं होगी तथा विद्यालय किसी अन्य सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के brand/नाम का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नहीं करेगा।

3. विद्यालय के पास भूमि, भवन, कमरों की संख्या, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित शर्त्तों के अनुरुप होगा।

4. शिक्षक योग्यता/प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) मापदंडों के अनुरुप होगा तथा उनकी नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया से किये जाने की अपेक्षा होगा।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रुप से पढ़ाया जायगा।

6

8) ... जाता है तो ऐसी स्थिति [redacted] जाँचोपरांत संबंधित विद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायेगा अथवा यथा आवश्यक संबंधन रद्द करने की अनुशंसा की जायेगी।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक– 238

पटना, दिनांक 4 अप्रैल 06

प्रतिलिपि विभाग के सभी निदेशक/ उप शिक्षा निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ओ०डी० मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक– 238

पटना, दिनांक 4 अप्रैल 06

प्रतिलिपि अध्यक्ष, सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली/सचिव, सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली, को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।

निजी विद्यालयों — CBSE/ICSE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संबंधित प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष लिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं .... नाम ....

सचिव/प्राचार्य/निदेशक .... विद्यालय का नाम एवं पता ....

....

यह घोषणा करता हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में दी गयी जानकारी/अभिलेख एवं दस्तावेज शत प्रतिशत सही है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–236 दिनांक–04.04.2006 में वर्णित सभी अनिवार्य शर्तों को विद्यालय पूरा करता है एवं अपेक्षित शर्तें विद्यालय प्रबंधन को स्वीकार्य है। साथ ही मेरा विद्यालय CBSE/ICSE द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूरा करता है।

3. मेरे विद्यालय को उपलब्ध कुल जमीन एकड़ एवं डिसमिल में निम्न प्रकार है :–

   (क) ....एकड़ .... डिसमिल

   (ख) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र :– ....

4. अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/अभिलेख में कोई तथ्य गलत पाया गया अथवा कोई तथ्य छिपाया गया तो मेरे विद्यालय से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा एवं झूठे तथ्य की जानकारी देने के आरोप में मुझपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर, पदनाम एवं पता